भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3143

15 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

रक्षित खानें

3143. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी इस्पात पीएसयू के पास लौह अयस्क और कोयले के लिए रक्षित खान हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो उन इस्पात पीएसयू का ब्यौरा क्या है, जिनके पास रक्षित खान नहीं हैं और उनके लिए कच्ची सामग्री का स्रोत क्या है;

(ग) रक्षित खानों वाली इस्पात पीएसयू की तुलना में जिन इस्पात पीएसयू के पास रक्षित खान नहीं है, उनकी लौह अयस्क की लागत में कितना अंतर है; और

(घ) क्या सरकार की राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) को रक्षित खान आवंटित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख): ऐसे इस्पात पीएसयू, जिनकी लौह अयस्क और कोयले की कैप्टिव खदानें हैं और जिनकी कैप्टिव खदानें नहीं है, उनका ब्यौरा संलग्न है। ऐसे सीपीएसई, जिनकी कैप्टिव खदानें नहीं हैं, की लौह अयस्क/कोयले की माँग को घरेलू उत्पादन/आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है।

(ग): ऐसे पीएसयू, जिनकी कैप्टिव खदानें हैं और ऐसे पीएसयू, जिनकी कैप्टिव खदानें नहीं है, के लिए लौह अयस्क की लागत विभिन्न मापदंडों जैसे कि एंड यूज इस्पात संयंत्र की अवस्थिति, खदानों की अवस्थिति, लॉजिस्टिक लागत, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा करारोपण, लौह अयस्क मूल्य आदि के आधार पर भिन्न हो सकती है।

(घ): राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने विभिन्न राज्य सरकारों नामतः ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से एमएमडीआर अधिनियम, 2015 की धारा 17क(2क) के तहत लौह अयस्क भंडार को आरक्षित करने की खान मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करने का अनुरोध किया है। इस्पात मंत्रालय ने भी आरआईएनएल के पक्ष में एक लौह अयस्क ब्लॉक को आरक्षित करने के लिए ओडिशा सरकार से अनुरोध किया है।

****

अनुलग्नक

इस्पात पीएसयू के लौह अयस्क और कोयला खदानें: कैप्टिव और नॉन-कैप्टिव

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	**खनिज**	**राज्य**	**खदानें**
	लौह अयस्क	झारखंड	I. किरीबुरू II. मेघाहातुबुरू III. गुआ IV. मनोहरपुर (घोबिल)
		ओडिशा	V. बोलानी VI. बरसुआ VII. काल्टा VIII. तलडीह
		छत्तीसगढ़	IX. राजहारा मैकेनिकल X. महामाया XI. झरनडल्ली XII. डल्ली मैकेनिकल XIII. डल्ली मैनुअल XIV. रावघाट (अंतरिम खनन)
	कोयला	झारखंड	I. चसनाला II. जितपुर
		पश्चिम बंगाल	III. रमनागोर
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)*	लौह अयस्क: कोई कैप्टिव खदान नहीं। कोयला: झारखंड में रबोडीह ओसीपी कोयला खदान*।		
केआईओसीएल लिमिटेड**	लौह अयस्क और मैंगनीज: कर्नाटक में देवदारी खदानें**।		

* आरआईएनएल को कोयला मंत्रालय द्वारा मार्च, 2020 में कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत झारखंड में राबोडीह ओसीपी का"सैद्धांतिक रूप से" आवंटन किया गया है।

** देवदारी खदान अभी तक प्रचालनशील नहीं हुई है। उसकी स्थिति निम्नवत् है:

खान मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से पैलेट संयंत्र और ब्लास्ट फर्नेस इकाई की कैप्टिव खपत के लिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 17क(2) के तहत देवदारी रेंज के लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क खनन पट्टों के आरक्षण हेतु कर्नाटक सरकार ने दिनांक 23.01.2017 को राजपत्र अधिसूचना जारी की। सांविधिक मंजूरियाँ नामतः खदान योजना, पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी, खनन पट्टा विलेख के पंजीकरण के लिए पूर्वापेक्षित है।

****